सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 113/15 **निर्णय दिनांकः—08.07.2019**

1. भंवरलाल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी लालमदेसर बड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 03—12—2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 03—12—2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने चयनित होने का प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 1983 में पेश किया था जो लम्बे अर्से बाद वर्ष 2002 में अपने रिकार्ड पर लेकर बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1983 अथवा उससे पूर्व का चयनित होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—12—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 05—11—15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

Scanned by CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—12—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 05—11—2015 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्रामीण एकीकृत योजनान्तर्गत चयनित होने के आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय किया गया है। जबकि अपीलांट का आवेदन पत्र पूर्ण था। आवंटन अधिकारी के कार्यालय की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने तथा कथित रूप से जारी नोटिस की समुचित तामिली के अभाव में अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आवंटन अधिकारी के निर्णय से आवेदक सूचित हुआ हो। अपील पेश करने में हुए विलम्ब के कारण संतोषजनक होन के कारण विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/आवेदक भंवरलाल ने भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु दिनांक 29—10—1983 को आवेदन पत्र पेश किया। उक्त आवेदन पत्र पेश होने के 19 साल बाद कथित रूप से दिनांक 31—10—2002 को साईक्लोस्टाईल नोटिस जारी किया गया कि आवेदन के साथ चयनित होने का प्रमाण पत्र नहीं है तथा भूमि आवंटन हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने का प्रमाण पत्र नहीं है। जबकि आवंटन अधिकारी की पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा चयनित प्रमाण पत्र संलग्न है तथा दिनांक 23—11—2002 को वांछित शपथ पत्र पेश कर दिया गया। इसके उपरान्त आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 03—12—2002 को साईक्लोस्टाईल आदेश के तहत चयनित होने के प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की प्रति आवेदक को उपलब्ध नहीं करवाई गई। आवंटन अधिकारी द्वारा जारी उक्त अपीलाधीन आदेश आवेदक/अपीलांट को सुने बिना वांछित दस्तावेजों पर गौर किये बिना तथा मनमानीपूर्ण तरीके से जारी किया गया आदेश है। जो विधि सम्मत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

Scanned by CamScanner

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–12–2002 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट के आवेदन पत्र विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner